झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — दशम् (शीतकालीन) सत्र

संख्या-05 — शुक्रवार, दिनांक-23 दिसम्बर, 2022 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 07.40 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-25

(क) उत्तरित मात्र-03, अ० सू०-24, श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स०,

इस अवसर पर आसन के निदेश से माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने पूर्व में माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा सदन में लाये गये 1932 के खतियान सम्बन्धी विषय पर निम्नांकित तथ्यों को रखा-

1. स्थानीयता से सम्बन्धित विधेयक के खण्ड-6 "क" के रूप में "इस अधिनियम के तहत पहचाने गये स्थानीय व्यक्ति ही राज्य सरकार में वर्ग-3 और वर्ग-4 के पदों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे" को जोड़ते हुए विधेयक को विधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया,
2. विधेयक में उपर्युक्त संशोधन की समीक्षा के क्रम में विधि विभाग के द्वारा यह अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त प्रावधान लोक नियोजन में प्रतिबंधित है तथा ऐसा केवल Parliament को अधिकार है,
3. मैं सभा को अवगत कराना चाहूँगा कि स्थानीयता से सम्बन्धित एवं आरक्षण में संशोधन से सम्बन्धित दोनों ही विधेयकों को संविधान के 9वें अनुसूची (Schedule) में शामिल करने के पश्चात् इसे लागू किये जाने का प्रस्ताव है। इसी क्रम में ये दोनों विधेयकों एवं प्रस्तावों को भी संसद (Parliament) से पारित कराना आवश्यक होगा,
4. 9वें अनुसूची (Schedule) में शामिल विधेयकों को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से संरक्षण प्राप्त है। वैसे तो 1973 के पश्चात् शामिल किये गये विधेयकों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, परन्तु उनमें भी मात्र संविधान के मूल ढ़ाँचे (Basic Structure) जैसे संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता में उल्लंघन एवं अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 में प्रदान किये गये अधिकारों के उल्लंघन तक ही यह न्यायिक समीक्षा सीमित रहेगी। वर्त्तमान में 9वें अनुसूची (Schedule) में 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें यह सुरक्षा कवच प्राप्त है,
5. उपर्युक्त दोनों ही विधेयक का सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद-16 से है एवं संविधान विशेषज्ञों के अनुसार 9वें अनुसूची (Schedule) में इसे शामिल कर दिये जाने से दोनों विधेयकों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी,
6. मैं सभा को अवगत कराना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के द्वारा वर्ष-1993 में इसी प्रकार का विधेयक वहाँ की विधान सभा से पारित कराया गया एवं उसे 9वें अनुसूची (Schedule) में शामिल कराया गया, जिसके कारण तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है,
7. 9वें अनुसूची (Schedule) में शामिल करने के लिए इन विधेयकों को संसद से भी पारित करते हुए 9वें अनुसूची (Schedule) में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी,
8. इस प्रकार मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूँगा कि विधि विभाग की टिप्पणी का पर्याप्त निराकरण करने के पश्चात् ही इसे माननीय राज्यपाल के समक्ष उपस्थापित किया गया है।

(प्रश्नकाल जारी)

अ० सू०-151, डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स०,

(अधिकृत माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा पूछा गया।)

अ० सू०-152, श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल-22, अ० सू०-क-153 से लेकर अ०सू०-174 तक।

इस क्रम में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखे गये तथ्यों पर डिबेट की माँग को लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.38 बजे पूर्वा० से लेकर 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इस कारण शेष प्रश्न नहीं लिये जा सके।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

2. कार्यस्थन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा, श्री मनीष जायसवाल एवं माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो से प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को आसन द्वारा पढ़ा गया, परन्तु नियमानुकूल नही होने के कारण उन्हें अमान्य कर दिया गया।

3.शून्यकाल की सूचनायें:-

आसन से पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनायें पढ़ी गयी-

श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री उमाशंकर अकेला,
श्री नारायण दास,
श्री बिरंची नारायण,
श्री राज सिन्हा,
श्री मनीष जायसवाल,
श्री प्रदीप यादव,
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
सुश्री अम्बा प्रसाद,
श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री सोना राम सिंकू,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
डॉ० लम्बोदर महतो,
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,
श्री रणधीर कुमार सिंह,
श्री दशरथ गागराई,
श्री राजेश कच्छप,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री केदार हजरा,
डॉ० नीरा यादव,
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह।

इस क्रम में श्री निरल पुरती, माननीय सदस्य अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके द्वारा शून्यकाल की सूचना नहीं पढ़ी जा सकी।

4.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त, श्री बादल द्वारा "भारतीय संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखण्ड राज्य का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वित्त लेखे भाग- I,ii एवं विनियोग लेखे का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है" को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया जो झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा। विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो, पर सभा की सहमति हुई।

5.सभा पटल पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

(क) पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री सरयू राय ने सभा नियम-216 (1) के तहत सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 26वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा,

(ख) पुकारे जाने पर सभा सचिव ने सभा नियम-304 (6) के तहत गत सत्र में प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित समेकित उत्तर की प्रति सभा पटल पर रखी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

6.विधायी कार्य:-

(क) झारखण्ड वित्त, विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से 03, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "झारखण्ड वित्त, विधेयक-2022" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह एवं डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी का संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुआ।

(ख) झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान, विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त वाणिज्य कर विभाग, श्री बादल द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से 03, खण्ड-04, खण्ड-05, खण्ड-06 से 09, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान, विधेयक-2022" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह, डॉ० लम्बोदर महतो, श्री अनन्त कुमार ओझा, श्री मनीष कुमार जायसवाल एवं श्री नवीन जयसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुआ।

(ग) झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा), विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, श्री बादल द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से 10, खण्ड-11, खण्ड-12 से 139, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा), विधेयक-2022" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह, डॉ० लम्बोदर महतो, श्री अनन्त कुमार ओझा, श्री मनीष कुमार जायसवाल एवं श्री नवीन जयसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति में भेजे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी का संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने आसन को सूचित किया कि अभी-अभी माननीय पूर्व सांसद, श्री फुरकान अंसारी एक स्कॉर्ट गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हो गये हैं जिन्हें तत्काल पारस हॉस्पीटल, धुर्वा में भर्त्ती किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि सभा परिसर में गाड़ियों की गति पर विराम लगाया जाय।)

7.गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी जिन्हें सरकारी उत्तर के पश्चात् उनके द्वारा वापस लिया गया:-

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01	श्री मथुरा प्रसाद महतो	प्रखण्ड स्तरीय कार्य एवं विभागों से सम्बन्धित कार्यों का संचालन पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड से किया जाना,	वापस
02	डॉ० लम्बोदर महतो	संविधान के अनुच्छेद-342 के तहत कुड़मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना,	वापस

03	श्री मनीष जायसवाल	हजारीबाग में प्रस्तावित हवाई अड्डा के लिये भूमि उपलब्ध कराना,	वापस
04	श्री नारायण दास	देवघर को राज्य की राजधानी राँची से जोड़ने हेतु नवीन रेलमार्ग स्थापित कराना,	उत्तर अप्राप्त
05	श्री प्रदीप यादव	गोड्डा जिला में देवडांड को नया प्रखण्ड का दर्जा दिया जाना,	वापस
06	श्री नलिन सोरेन	किसानों को अधिगृहित भूमि का वर्त्तमान दर से मुआवजा भुगतान तथा जल-कर से मुक्त कराना,	वापस
07	श्रीमती पुष्पा देवी	राज्य संपोषित से पथ निर्माण विभाग में सड़क को स्थानान्तरित करते हुए सड़क का निर्माण कराना,	वापस
08	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी माननीय सदस्य,श्री भानू प्रताप शाही द्वारा पूछा गया	ग्रामीण विकास विभाग से स्थानान्तरित कर पथ निर्माण विभाग से सड़क का निर्माण कराना,	वापस
09	श्री नवीन जयसवाल	घरेलू कामगार से सम्बन्धित राज्य स्तरीय कानून बनाना,	वापस
10	श्री बिरंची नारायण	वृक्षों का पातन करवाकर डी.जी.सी.ए. के निरीक्षण के उपरांत बोकारो एयरपोर्ट को चालू कराना,	वापस
11	डॉ० सरफराज अहमद	गिरिडीह जिला में जाहेरस्थान/कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना,	अपृष्ठ
12	श्री सुदेश कुमार महतो माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा पूछा गया	झारखण्ड में जातीय जनगनणा कराना,	वापस
13	श्री अमित कुमार मण्डल	गोड्डा जिला के दो मुँही से बसंतराय सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कराया जाना,	वापस
14	श्री सरयू राय	जमशेदपुर में नगर निगम की स्थापना कराना,	वापस
15	श्री किशुन कुमार दास	रैयतों को मुआवजा एवं नौकरी प्रदान कराना,	अपृष्ठ
16	श्री केदार हजरा	पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कर आवागमन के अनुरूप बनाया जाना,	वापस
17	श्री रामचन्द्र सिंह	इको सेंसेटिव जोन की सीमा विशेष परिस्थिति में क्षांत करते हुए 05 कि.मी. किया जाना,	वापस
18	श्री अनन्त कुमार ओझा	झारखण्ड राज्य और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा ''राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार कराना'',	सदन द्वारा वापस
19	सुश्री अम्बा प्रसाद	बड़कागाँव चौक से बाईपास सड़क बनवाना,	वापस
20	श्री लोबिन हेम्ब्रम	आदिवासी, पहाड़िया समाज को बचाने के लिए प्रस्तावित एयरपोर्ट का स्थान परिवर्त्तित करना,	वापस
21	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	पथ का निर्माण अविलम्ब किया जाना,	वापस
22	श्री निरल पुरती	पश्चिम सिंहभूम के मझगाँव प्रखण्ड कार्यालय का नया कार्यालय भवन का निर्माण कराना,	वापस
23	डॉ० इरफान अंसारी	जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखण्ड को एक से अधिक प्रखण्डों में विभक्त करना,	अपृष्ठ

24	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पलामू जिला के नगर निगम क्षेत्र के लम्बित सेकेण्ड फेज का पेयजल के कार्य को शुरू कराना,	वापस
25	श्री विनोद कुमार सिंह	राज्य में पंचायत सचिव और लिपिक को मेरिट के आधार पर तत्काल नियुक्त करना,	वापस
26	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	छगलिया घाट से लालपुर घाट तक पुल का निर्माण कराया जाना	वापस
27	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना,	वापस
28	श्री विकास कुमार मुण्डा	बुंडु नगर पंचायत स्थित पुराने रेफरल अस्पताल को ध्वस्त करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराना,	वापस
29	श्री दशरथ गागराई	झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को वर्ष-2017 में हस्तांतरित की गयी भूमि को वापस कराना,	वापस
30	श्री सुदिव्य कुमार	गिरिडीह में जेरियागादी रेलवे ओवरब्रिज व गिरिडीह बाईपास रोड का निर्माण कराना,	वापस
31	श्री राज सिन्हा	सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना,	वापस
32	डॉ० नीरा यादव	घोड़सीमर देवघर धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराना,	वापस
33	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	एच.ई.सी. कारखाना को बचाने के लिए प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा जाना,	वापस
34	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन माननीय सदस्य, श्री सुकदव्य कुमार द्वारा पूछा गया	जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखण्ड में निर्मित डिग्री कॉलेज को चालू कराना,	वापस
35	श्री संजीव सरदार	पोटका प्रखण्ड के कोवाली को नया प्रखण्ड बनाया जाना,	वापस
36	श्री ढुलू महतो माननीय सदस्य, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता द्वारा पूछा गया	बाघमारा के विस्थापित परिवारों को देय सुविधा का निपटारा करना,	अपृष्ठ
37	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पलामू जिला के पाँकी विधान सभा क्षेत्र में खाद एवं उर्वरक उत्पादन कारखाना तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कराया जाना।	वापस

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री नारायण दास ने आसन को सूचित किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बाबा साहेब की मूर्ति को खण्डित कर दिया गया है।)

इसके उपरांत आसन की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, श्री हेमन्त सोरेन ने सरकारी वक्तव्य दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने राज्यहित में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों यथा- सरना धर्म कोड, 1932 का खतियान और राज्य में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख किया, लेकिन केन्द्र सरकार असहयोगात्मक रवैये पर दु:ख भी जताया। रेलवे द्वारा झारखण्ड से खनिजों की अवैध ढुलाई पर भी क्षोभ भी व्यक्त किया। राज्य के गरीबों के आवास सम्बन्धी मामला भी केन्द्र सरकार के यहाँ लम्बित होने की बात सदन के समक्ष रखी। अन्तत: वर्त्तमान सरकार की उपलब्धियों का उन्होंने विस्तार से

उल्लेख करते हुए राज्य के नौजवानों को आश्वस्त भी किया कि उन्हें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी।।

(इस क्रम में प्रतिपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया)

8.समापन भाषण:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के दशम् (शीतकालीन) सत्र के अवसान पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सत्र के दौरान कुल-17 कार्य दिवसों के दौरान 17 घंटे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित होने में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की अहर्निश सेवा, सभी विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का सकारात्मक सहयोग, पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों की अहम भूमिका तथा मीडियाकर्मियों की सक्रियता के लिए हार्दिक शुभकामनायें दी तथा पूरे सत्र के दौरान पूछे गये प्रश्नों, शून्यकालों, ध्यानाकर्षणों एवं अन्य कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से सदन को अवगत कराया। इस लघु सत्र में आमजनों के हितार्थ सम्पन्न कार्यों की भी व्याख्या उन्होंने की और साथ ही अपने अनुभवों से भी सदन को ओत-प्रोत किया आनेवाले त्योहारों की शुभकामनायें देते हुए सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी।

राँची,
दिनांक- 23 दसम्बर, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।